



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bseabih.nic.in

पटना/दिनांक 12/06/2019

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा०/ विधि० 1-01/2018 843..... चूंकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा पारू व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और चूंकि प्रत्येक व्यापार मंडल सहयोग समिति में अध्यक्ष के पद एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के पदों के लिए निर्वाचन कराया जायेगा तथा सदस्य के पदों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार पारू व्यापार मंडल सहयोग समिति के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 13.07.2019 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-559 दिनांक 24.04.2019 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.03.2019 निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 04.06.2019 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 15.06.2019 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-5 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका प्रपत्र-ई०18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

12/06/19

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 843

पटना/ दिनांक 12/06/2019

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 843

पटना/ दिनांक 12/06/2019

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), मुजफ्फरपुर/ उप विकास आयुक्त-सह- नोडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पारू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पारू को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल निर्वाचन के संचालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 688 दिनांक 04.08.2017 द्वारा दिये गये अनुदेश यथा संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandus) लागू होंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के बेवसाईट www.bseabih.nic.in पर उपलब्ध है।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 843

पटना/ दिनांक 12/06/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निर्देश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 843

पटना/ दिनांक 12/06/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 843

पटना/ दिनांक 12/06/2019

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांचियकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

पारू व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

| | | |
|-------|---|--|
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन | 15.06.2019 (शनिवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 01.07.2019(सोमवार) एवं 02.07.2019 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 03.07.2019 (बुधवार) एवं 04.07.2019 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि | 06.07.2019 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 13.07.2019 (शनिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 13.07.2019 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(नये व्यापार मंडल के लिए)

जिला प्रखण्ड के व्यापार मंडल निर्बंधन संख्या
पता के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक को
किया जाना है,

मैं निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
|-----------------------------|---|
| प्रथम वर्ग से | |
| अध्यक्ष | 01 (अनारक्षित) |
| प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य | 10 |
| • अनु०जाति/अनु०ज०जाति कोटि | 02 पद (आरक्षित; जिसमें से यथाशक्य निकटतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित) |
| • पिछड़ा वर्ग कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि | 02 पद (आरक्षित; जिसमें से यथाशक्य निकटतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित) |
| • सामान्य कोटि | 05 पद (अनारक्षित; जिसमें से यथाशक्य निकटतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित) |
| द्वितीय वर्ग से | |
| प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य | 03 |
| • अनु०जाति/अनु०ज०जाति कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • सामान्य कोटि | 02 पद (अनारक्षित; जिसमें से यथाशक्य निकटतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित) |

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में को पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक से दिनांक
तक बजे से बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक को पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)

तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक को अपराह्न बजे के पूर्व तक पर
(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतगणना दिनांक को बजे से पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-1
सूचना का प्रपत्र
(पुराने व्यापार मंडल के लिए)

जिला , प्रखण्ड..... के व्यापार मंडल , निबंधन संख्या..... ,
पता के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिटि के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक..... को
किया जाना है,

मैं..... निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
|--|---|
| अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से प्रबंधकारिणी समिटि के सदस्य | 01 (अनारक्षित) |
| प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से | 06 |
| • अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • पिछड़ा वर्ग कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • सामान्य कोटि | 03 पद (अनारक्षित; जिसमें से यथाशक्य निकटतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित) |
| द्वितीय वर्ग (व्यक्तिगत किसान) से | 06 |
| • अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • पिछड़ा वर्ग कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि | 01 पद (आरक्षित) |
| • सामान्य कोटि | 03 पद (अनारक्षित; जिसमें से यथाशक्य निकटतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित) |

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय....., अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में..... को..... पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक..... से दिनांक.....
तक बजे से..... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक..... को..... पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)
तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक..... को अपराह्न बजे के पूर्व तक पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..... को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक..... को बजे से..... पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर